माननीय न्यायाधीश श्री *राजीव नारायण रैना* के समक्ष

गौरव भारद्वाज- *याचिकाकर्ता*

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य–*प्रतिवादी*

2015 की सीडब्ल्यूपी 26910

अक्टूबर 26, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973-आरएल 11 (1) (बी) और 38-छूट का नियम (पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) - निर्णय लेखक के रूप में पदोन्नति और वरिष्ठता - कार्रवाई में समान अवसर और निष्पक्षता का दावा - कैरियर को प्रभावित करने वाले वित्तीय/सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए एक निरंतर गलत उपाय किया जाना - उच्च न्यायालय/राज्य उन मामलों में सीमा की दलील लेने से बचना जहां कला। 14 का उल्लंघन किया गया है - याचिकाकर्ता को 3 साथी बैच-मेट्स के बराबर पदोन्नत किया गया है जो पहले से ही योग्यता के अनुसार छूट प्रदान करते हैं और आशुलिपिक के रूप में पारस्परिक वरिष्ठता - याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच वरिष्ठता को फिर से आकर्षित करने के निर्देश।

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय का एक कर्मचारी जो पीड़ित है, उससे न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने की उम्मीद नहीं की जाती है, जहां वह हर समय अधिकारियों से न्याय की उम्मीद करता है। मैं नहीं समळाता कि उच्च न्यायालय के लिए यह उचित और उचित है कि वह विलंब पर आपत्ति करे और जब उसके कार्यालय विलंब के दोषी हों तो उसमें कमी करे। एक बार जब मनमानी निष्क्रियता और अनुचित भेदभाव का मामला सामने आया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के स्वीप द्वारा अधिकार

प्रकृति में मौलिक बन गया है, तो देरी और मामले की आपत्तियों को महत्वहीन और गुण-दोष में बदल दिया जाना चाहिए। राज्य या उच्च न्यायालय को उचित कारण में देरी, कमी और सीमा की दलीलों को लेने से बचना चाहिए। यह विशेष रूप से सच है जब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि तीन बैच-मेट्स ने याचिकाकर्ता को संबद्ध किए बिना एक प्रतिनिधित्व किया था। उनका दावा समान अवसर और निष्पक्षता-कार्रवाई के सिद्धांतों पर आधारित है और न्यायसंगत है। यहां तक कि अगर किसी की गलती नहीं है, तब भी कानून के समक्ष समानता का मूल्य प्रबल होना चाहिए और न्याय की तलाश में अन्य सभी विचारों को ओवरराइड करना चाहिए। याचिकाकर्ता को उसके पहले से मौजूद अधिकारों को वापस कर दिया जाना चाहिए और उसमें निहित किया जाना चाहिए जब उसके तीन साथी स्टेनोग्राफरों को छूट दी गई थी, जिन्होंने एक साथ एक सजातीय वर्ग का गठन किया था और यथोचित रूप से वर्गीकृत हैं। याचिकाकर्ता के मामले को बाकी यानी शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा के मामलों से अलग करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इसके अलावा, यह एक निरंतर गलत है जिसे अगर ठीक नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता को हर दिन वित्तीय नुकसान और स्थिति का नुकसान होता है जो उसके पूरे करियर में चलेगा, अगर अदालत हस्तक्षेप करने में विफल रहती है। मंत्रालयिक कर्मचारियों में निहित स्वार्थों और बाहरी कारणों से काम करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने दोनों महत्वपूर्ण चरणों में अपनी शातिर भूमिका निभाई है। कार्यालय में किसी के पास फ़ाइल पर बैठकर पीसने के लिए कुछ कुल्हाड़ी होनी चाहिए और इसे केवल एक नियति बनाने के लिए बहुत देर से धक्का देना चाहिए। इस उदासीनता के कारण यह मुकदमेबाजी हुई है।

(पैरा 23)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर के रूप में योग्यता और पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार निर्णय लेखक

(पदोन्नति कोटा में 22 में से से) के रूप में रिक्ति की उपलब्धता की तारीख से सर्व/श्री शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा के समान सैद्धांतिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा। तदनुसार, दिनांक 3 मई, 2011 के आदेश में संशोधन किया जाता है। दिनांक 2 मई, 2011 के आदेश को 15 फरवरी, 2011 से संबंधित करने का निर्देश दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सिफारिश 29 अक्टूबर, 2010 से इस घोषणा के साथ संबंधित होगी कि याचिकाकर्ता जजमेंट राइटर्स के संवर्ग में प्रतिवादी 2 से 4 तक वरिष्ठ हो जाएगा और उच्च पदोन्नति वाले पदों पर ऐसा ही रहेगा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 से 4 के बीच वरिष्ठता को तदनुसार फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जाता है

(पैरा 28)

पॉल एस सैनी, एडवोकेट और विपुल शर्मा, *याचिकाकर्ता के वकील।*

गीता शर्मा, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अधिवक्ता, आर.के.मलिक, एस.के.राणा के साथ सीनियर एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के लिए वकील

राजीव नारायण रैना, न्यायाधीश

1. इस मामले में विवाद को दो अंतरिम आदेशों में अभिव्यक्त किया गया है, पहला दिनांक 22 दिसंबर, 2015 को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते समय; और दूसरा 5 सितंबर, 2018 को पारित हुआ। पहला पढ़ता है:-

   "अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को 7.5.2009 को स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.5.2009 (अनुलग्नक पी/3) को तीन अन्य के साथ शामिल हुआ था। उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 के नियम 11 (1) (बी) के अनुसार, विभिन्न अन्य शर्तों के अधीन जजमेंट

राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम दो वर्ष की अवधि आवश्यक है। माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा 1973 नियमावली के नियम 38 के अधीन शिथिल करने की शक्ति के कारण उक्त अवधि की शर्त को समाप्त किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के साथ नियुक्त व्यक्तियों ने इस शर्त में छूट के लिए एक अभ्यावेदन (अनुबंध पी/5) दायर किया जिसे 14.10.2010 को प्रदान किया गया और तदनुसार उन्हें 29.10.2010 (अनुबंध पी/9) को पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने भी उसी आधार पर दिनांक 17.12.2010 के अभ्यावेदन (अनुबंध पी/10) के तहत छूट के लिए आवेदन किया क्योंकि वह समान रूप से स्थित था और जजमेंट राइटर्स के पद खाली पड़े थे। समिति द्वारा उनके मामले की सिफारिश 15.2.2011 (अनुबंध पी/12) को की गई थी, लेकिन कार्यालय आदेश केवल 2.5.2011 (अनुबंध पी/14) को पारित किए गए थे। इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके बाद उसने प्रतिनिधित्व किया कि उसे उसी तारीख से पदोन्नति दी जानी चाहिए जब समान रूप से स्थित व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था यानी 29.10.2010। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी जिस तारीख को उन्हें पदोन्नत किया गया था यानी 2.5.2011 को, वह 12.5.2011 तक दो साल की अपेक्षित अवधि पूरी कर चुके होंगे। 9.2.2016 के लिए प्रस्ताव की सूचना।

2. 5 सितंबर, 2018 को सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर मामले को रिकॉर्ड पर रखते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान वकील और निजी उत्तरदाताओं 2 से 4 को सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने 15.02.2011 को हुई अपनी बैठक में शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा को दिए गए समान उपचार के अनुसार याचिकाकर्ता को 'जजमेंट राइटर' के रूप में पदोन्नति के लिए मामले की सिफारिश की, जिनमें से सभी को दो साल के अनुभव में छूट दी गई थी। कमिटी ने सुझाव दिया कि पिछली मिसाल के अनुसार, याचिकाकर्ता भी नियम में ढील देकर 'जजमेंट राइटर' के रूप में पदोन्नति का हकदार है।

आज, मूल फाइल उच्च न्यायालय की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री गीता शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायाधीशों की समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं, लेकिन डीपीसी के कार्यवृत्त को माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अवलोकनार्थ या उपयुक्त आदेशों के लिए रखने संबंधी कोई टिप्पणी नहीं है। यह फाइल पहली बार 02.05.2011 को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थी और उसी दिन फाइल पर "देखा" रिकॉर्ड करके अनुमोदित किया गया था।

इस बीच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-रजिस्ट्रार (सतर्कता) के कार्यालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों के आमेलन की प्रक्रिया शुरू हुई। समिति ने दिनांक 25.03.2011 को इस न्यायालय की स्थापना पर 3 अधिकारियों को निर्णय लेखक के रूप में आमेलित करने के निर्णय का अनुमोदन किया। फाइल 28.03.2011 को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थी और 01.04.2011 से 20.04.2011 को अनुमोदित की गई थी। इन अधिकारियों को आमेलित कर लिया गया है। श्री मलिक, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस न्यायालय की स्थापना पर उनके मुवक्किलों का विलय कर दिया गया था।

जाहिर है, याचिकाकर्ता को 12.05.2009 को स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.05.2011 को दो साल का अनुभव प्राप्त किया होगा। याचिकाकर्ता को 02.05.2011 को जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिससे वह निजी उत्तरदाताओं से कनिष्ठ हो गया।

हालांकि, इस भेद में जाने के बिना कि क्या निजी उत्तरदाताओं को अवशोषित या विलय किया गया था, इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (जनरल) या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से अच्छी तरह परिचित है, द्वारा 15.02.2011 से 02.05.2011 तक फाइल के आंदोलन की व्याख्या करने और माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता की फाइल को रखने में देरी को स्पष्ट करने के लिए एक हलफनामा दायर करना आवश्यक है। जबकि निजी प्रतिवादियों के मामले पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की गई थी। फाइल रखने और उस पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार लोगों के आचरण की जांच करके स्पष्टीकरण दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित विलंब के बाद उसे माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है। याचिकाकर्ता के मामले को रखने में देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हलफनामे में किया जाना चाहिए अर्थात उन अधिकारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनसे फाइल को सौंपने की संभावना थी, जिन्हें माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना था। शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या माननीय समिति की दिनांक 15.02.2011 की सिफारिशों को बाद की सिफारिशों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए थी।

सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा दायर किया जाए।

25.09.2018 को फिर से सूचीबद्ध करें।

3. निर्देशानुसार रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने 24 सितंबर, 2018 को हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि कागजात माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे गए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रार (नियम) को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष फाइल डालने में देरी और याचिकाकर्ता के मामले को रखने में देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम के बारे में जांच करने का निर्देश दिया था। हलफनामे में पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार (प्रशासन) और श्री वरिंदर शाही, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी और अधिकारियों द्वारा उनके बयानों के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं। शपथ पत्र के साथ ए-1 और ए-2। पैरा 3 में यह कहा गया है कि माननीय न्यायाधीशों की समिति की बैठक 15 फरवरी, 2011 को हुई थी और कार्यवृत्त 2 मई, 2011 को कार्यकारी मुख्य न्यायमूत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रशासन के कार्यालय में, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया था, ये 2 मई, 2011 को प्राप्त हुए थे और बिना किसी विलंब के, उन्हें आदेशों के लिए माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जाहिर है, तत्कालीन रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कार्यालय में फाइल डालने में कोई देरी नहीं हुई है। जहां तक 15 फरवरी, 2011 से 2 मई, 2011 तक बैठक के कार्यवृत्त की तैयारी और संचालन का संबंध है, प्रतिवादी का कहना है कि श्री वरिंदर शाही इसे अच्छी तरह से समझा सकते थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट से, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता है कि उन्हें माननीय न्यायाधीशों की समिति से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होने के नाते कार्यवृत्त कब प्राप्त हुए। यह संभव हो सकता है कि माननीय समिति से कार्यवृत्त विलंब से प्राप्त हुआ हो, लेकिन पुन श्री वरिंदर शाही की रिपोर्ट

इस तथ्य के बारे में मौन है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि आज की तारीख में भी प्रचलित प्रथा के अनुसार, बैठकों के बाद माननीय समितियों से कार्यवृत्त कब तैयार किए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं, इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस स्तर पर विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों का पता उचित जांच के बिना नहीं लगाया जा सकता है।

4. अंत में और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथ-पत्र में कहा गया है कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या माननीय समिति की दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सिफारिशों को बाद की सिफारिशों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए थी, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय समितियों की सिफारिशों को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है क्योंकि समितियों का गठन माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी सहायता के लिए किया जाता है। इस प्रकार, जब तक माननीय समिति की सिफारिशों को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और इसलिए, इस स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के बिना, यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या तत्कालीन माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 मई को अनुमोदित की गई सिफारिशों को 2011 को बाद की सिफारिशों पर वरीयता दी जा सकती है।

5. स्पष्टतया, मुख्य मुद्दा जिस पर मामले का भविष्य निर्भर करेगा और जिसके लिए निर्धारण की आवश्यकता है, वह 15 फरवरी, 2011 (माननीय समिति की सिफारिशें) और 2 मई, 2011 (माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन, जिस दिन मामला रखा गया था) के बीच प्रतिवादी 2 से 4 के पाइपलाइन अवशोषण/विलय मामलों की तुलना में याचिकाकर्ता के अधिकारों पर विलंब का प्रभाव है। यह मानते हुए कि माननीय समिति की कार्यवाही को 15 फरवरी, 2011 के तुरंत बाद माननीय कार्यवाहक

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तुरंत रखा गया था, और बिना समय गंवाए यह कहना उचित है कि निजी प्रतिवादी 2 से 4 के मामलों को जजमेंट राइटर्स के कैडर में विलय और उनके प्रस्तावित आमेलन के लिए विचार किए जाने से पहले ही फाइल को अनुमोदन प्राप्त करने वाले आदेशों के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया होता इस न्यायालय की स्थापना पर, एक प्रक्रिया जो याचिकाकर्ता के मामले में 15 फरवरी, 2011 को की गई सिफारिशों के बाद प्रभावी रूप से शुरू हुई। यदि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की समय पर मंजूरी मिल गई होती (यह देखते हुए कि फाइल 2 मई, 2011 को रखी गई थी और उसी दिन अनुमोदित की गई थी), तो याचिकाकर्ता को संभवतः उत्तरदाताओं 2 से 4 के आने से बहुत पहले जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया होता, याचिकाकर्ता को कैडर में निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ रैंक दिया जाता।

6. माननीय समिति ने 15 फरवरी, 2011 को अपनी सिफारिशें करते समय याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें उसके साथ वही व्यवहार किया गया था जो शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा के साथ किया गया था, जिनमें से सभी को जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नति के लिए दो वर्ष की सेवा में छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 (संक्षिप्त "1973 नियम") के नियम 11 (1) (बी) के अनुसार, वरिष्ठ स्तर के आशुलिपिक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक है, अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन। छूट की शक्ति 1973 के नियमों के नियम 38 के तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास निहित है। 15 फरवरी, 2011 को की गई सिफारिशों को निम्नानुसार पुन प्रस्तुत किया जाता है: -

"आइटम नंबर 1 से 4

स्थगित।

आयटम क्रमांक 5

इस न्यायालय के स्टेनोग्राफर श्री गौरव भारद्वाज ने अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षण के अनुसार आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 12-5-2009 को सर्वश्री शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा के साथ कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने अनुरोध किया है कि चूंकि उपरोक्त सर्व/श्री शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा को सेवा की अवधि की अपेक्षित शर्त में छूट देकर पहले ही निर्णय लेखक के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है, इसलिए उन्हें समान स्तर पर होने के कारण समानता के आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है।

कार्यालय ने सूचित किया है कि किसी आशुलिपिक को अपेक्षित अवधि में छूट देकर निर्णय लेखक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है यदि वह दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है। समिति ने मामले का अवलोकन किया है।

आवेदक- श्री गौरव भारद्वाज ने 12.5.2009 को इस न्यायालय में आशुलिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पिछली मिसाल के अनुसार, वह जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नति के हकदार भी हैं। इसलिए, समिति तदनुसार सिफारिश करती है।

7. कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है। याचिकाकर्ता को दिनांक 10 जुलाई, 2008 के आदेश (अनुबंध) द्वारा 21 जुलाई, 2008 को क्लर्क के रूप में इस न्यायालय की स्थापना पर शामिल किया गया था। पी -1)। अप्रैल, 2009 के माह में,

उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की स्थापना पर आशुलिपिकों के 14 पदों को भरने के लिए अप्रैल, 2009 में एक परीक्षा आयोजित की जिसमें याचिकाकर्ता भी अन्य आवेदकों के साथ उपस्थित हुआ। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर, याचिकाकर्ता के साथ-साथ सर्व/श्री शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा सहित चौदह उम्मीदवारों में से केवल चार का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। उनके चयन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें स्टेनोग्राफर नियुक्त करते हुए अलग से कार्यालय आदेश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता का नियुक्ति पत्र 7 मई 2009 का है।

8. आशुलिपिक के पद से अगली पदोन्नति निर्णय लेखक के पद पर होती है जो दिनांक 11 मई, 2010 की अधिसूचना (अनुबंध 2010) द्वारा वर्ष 2010 में यथासंशोधित नियमों के नियम 11(1) के उपबंधों द्वारा शासित होती है। पी -4)। संशोधित नियम के प्रावधानों के अनुसार, निर्णय लेखकों के 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। 1973 के नियमों का नियम 38 माननीय मुख्य न्यायाधीश को किसी विशेष मामले में किसी भी अनुचित कठिनाई के मामले में नियमों में छूट देने का अधिकार देता है। छूट का नियम इस प्रकार है:-

> "38. जहां मुख्य न्यायमूर्ति का समाधान हो जाता है कि किसी नियम के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए समाप्त कर सकता है या शिथिल कर सकता है जिसे वह मामले से उचित और साम्यापूर्ण तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे, बशर्ते कि मामले को अधिकारी या अधिकारी के लिए कम अनुकूल तरीके से निपटाया न जाए नियमों के अनुसार की तुलना में संबंधित।

9. विवाद कैसे शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता के अन्य तीन बैच-मेट्स, शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा ने सितंबर, 2010 (अनुलग्नक 2010) के महीने में एक अभ्यावेदन दिया। पी-5) जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर के रूप में दो वर्ष की सेवा से संबंधित नियमों में छूट की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि तीन अभ्यावेदनकर्ताओं ने अपने मामले को इस तरह पेश किया जैसे कि मई, 2009 में आशुलिपिक के पदों पर केवल तीन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, जबकि तथ्यात्मक रूप से, याचिकाकर्ता सहित चार उम्मीदवारों का चयन, नियुक्ति और स्टेनोग्राफर के रूप में शामिल किया गया था, जैसा कि दिनांक 23 मई, 2009 के आदेश (अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है। पी -3)। दिनांक 6 अक्तूबर, 2010 की बैठक टिप्पणी (संलग्नक) के माध्यम से तीन माननीय न्यायाधीशों वाली स्थापना समिति-III के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। पी -6)। माननीय समिति ने दिनांक 14 अक्तूबर, 2010 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त अभ्यावेदन (अनुबंध) को स्वीकार करते हुए दिनांक 14 अक्तूबर, 2010 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि समिति ने उपर्युक्त अभ्यावेदन (अनुबंध) को स्वीकार कर लिया है। पी-5) ने याचिकाकर्ता के उपरोक्त तीन बैच-मेट्स, शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा को पदोन्नति के लिए दो साल की सेवा की न्यूनतम अवधि की शर्त के संबंध में 1973 के नियमों के नियम 11 (1) (बी) में ढील देकर जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की, जिससे 1973 के नियमों के नियम 38 के प्रावधानों के तहत मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश की गई, मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उस समय पदोन्नति कोटा से संबंधित जजमेंट राइटर्स के 22 पद उपलब्ध थे और एक पूर्व प्रशासनिक मिसाल मौजूद थी जब एक प्रदीप नौटियाल को पदोन्नति के लिए न्यूनतम दो साल की

सेवा की आवश्यकता से संबंधित नियमों में ढील देकर स्टेनोग्राफर के पद से जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया था।

10.माननीय समिति की दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 की सिफारिश को बाद में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा 29 अक्टूबर, 2010 को यानी एक पखवाड़े के भीतर अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, तीनों को 29 अक्तूबर, 2010 को जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि जिन अधिकारियों ने माननीय समिति के विचार के लिए मीटिंग नोट तैयार किया था, वे समिति के माननीय सदस्यों को यह बताने और इस तथ्य को स्पष्ट करने में विफल रहे कि वास्तव में चार उम्मीदवार, अर्थात्, याचिकाकर्ता और अन्य तीन एक साथ समान रूप से रखे जाने के हकदार थे। इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया जा सका और उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता और उसके तीन बैच-साथियों के बीच भेदभाव वर्तमान मामले में विवाद का कारण बन गया। याचिकाकर्ता ने 12 मई, 2009 को स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जो उपरोक्त तीन बैच-मेट्स से पहले है, जो 21 मई, 2009 और 22 मई, 2009 को शामिल हुए थे।

11.इसकी जानकारी मिलने के बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (संलग्नक। पी-10) जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के मामले में उनके साथ हुए अन्याय की ओर इशारा करते हुए। अभ्यावेदन माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और महामहिम ने अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मामले को संबंधित माननीय न्यायाधीशों की समिति को भेजने का आदेश पारित किया था। इस प्रकार इस मामले को दिनांक 24 जनवरी, 2011 के बैठक नोट (संलग्नक) के माध्यम से तत्कालीन रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा विचार किए जाने हेतु माननीय समिति के समक्ष रखा गया था। पी -11)।

12. याचिकाकर्ता के वास्तविक और वास्तविक दावे से आश्वस्त और संतुष्ट होने पर, माननीय समिति ने 15 फरवरी, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के मामले को उसके बैचमेट्स के समान स्तर पर यानी समानता के आधार पर जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की। पी -12)। अफसोस की बात है कि उच्च न्यायालय की स्थापना के कार्यालय ने औपचारिक/प्रक्रियात्मक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए माननीय समिति की सिफारिशों को काफी लंबे समय तक माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखा। संबंधित कार्यालय में डीलिंग व्यक्तियों ने संबंधित समिति की दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सिफारिशों के औपचारिक/प्रक्रियात्मक अनुमोदन के लिए मामला माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 2 मई, 2011 को देर से अर्थात ढाई महीने की अवधि के बाद रखा। सिफारिशों को उसी दिन अर्थात 2 मई, 2011 को अनुमोदित कर दिया गया था। यह देरी है जो याचिकाकर्ता के कारण के लिए घातक साबित हुई है, क्योंकि इसने न केवल जजमेंट राइटर के रूप में उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, बल्कि निजी सचिव आदि के पद पर बाद में पदोन्नति पर उनकी वरिष्ठता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भविष्य में उनकी वरिष्ठता को प्रभावित करना जारी रखेगा।

13. यह इस पृष्ठभूमि में है कि याचिकाकर्ता ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता को उस तारीख से संबंधित करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है जब उनके साथी स्टेनोग्राफरों को 29 अक्टूबर, 2010 को जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया था और किसी भी मामले में उन्हें निजी उत्तरदाताओं 2 से 4 के समक्ष रैंक और रखने के लिए रैंक किया गया था और उन्हें जजमेंट राइटर्स के कैडर में आमेलित / विलय कर दिया गया था। यदि याचिकाकर्ता को इस तरह की राहत दी जाती है, तो यह अनुचित भेदभाव के किसी

भी अवशेष को हटा देगा और उसके मामले को अन्य तीन हमवतन के बराबर लाएगा।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी 2 से 4 मूल रूप से जिला और सत्र न्यायालयों में अधीनस्थ कर्मचारी कैडर से संबंधित थे और उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-रजिस्ट्रार (सतर्कता), पंजाब के उच्च न्यायालय कार्यालय और जिला और सत्र कार्यालय, न्यायाधीश-सह-रजिस्ट्रार (सतर्कता), हरियाणा में काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें दिनांक 3 मई, 2011 के कार्यालय आदेश (अनुबंध) द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना पर निर्णय लेखक के रूप में आमेलित किया गया था। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2011 से भूतलक्षी प्रभाव से पी-15 के मामले में अधिक्रमण किया है जिससे पदोन्नति/नियुक्ति के मामले में याचिकाकर्ता का स्थान लिया जा सके और निर्णय लेखकों के संवर्ग में परिणामी वरिष्ठता की हानि हो गई है।

15. दिनांक 3 मई, 2011 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 सितम्बर, 2011 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (संलग्नक। (ख) माननीय समिति के समक्ष दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के बैठक नोट (अनुबंध में संलग्न है) के माध्यम से सात माह के अंतराल के बाद माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पी -17)। माननीय समिति ने 11 मई, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया "<u>मीटिंग नोट को पढ़ने के बाद, समिति सिफारिश करती है कि श्री गौरव भारद्वाज, जजमेंट राइटर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए।</u> इन सिफारिशों को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक सप्ताह से भी कम की अवधि के भीतर अर्थात 16 मई, 2012 को उच्च न्यायालय के कार्यालय द्वारा सम तारीख के अग्रेषण नोट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। निर्णय को हिज लॉर्डशिप द्वारा अनुमोदित

किया गया था। 29 अक्तूबर, 2010 को तीन बैच के साथियों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति में कमी के परिणामस्वरूप, निजी सचिव के पद पर याचिकाकर्ता की अगली पदोन्नति में भी 17 जनवरी, 2013 को तीन बैच के साथियों को उच्च पद पर पदोन्नत किए जाने की तारीख से चार महीने से अधिक का विलंब हुआ।

16. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादी 2 से 4 को 3 मई, 2011 से पदोन्नत किया गया था, न कि 1 अप्रैल, 2011 से, वह उनसे वरिष्ठ रैंक करेगा क्योंकि उसके मामले को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने एक दिन पहले 2 मई, 2011 को अंतिम रूप दिया था। यह अन्य बातों के साथ-साथ, 1 अप्रैल, 2011 से प्रतिवादी 2 से 4 को दी गई पूर्वव्यापी पदोन्नति है, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ तालिकाओं को बदल दिया है और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने उस पर एक मार्च चुरा लिया है।

17. दिनांक 3 मई, 2011 के आदेश (संलग्नक) से व्यथित महसूस कर रहा हूं। (ख) प्रतिवादी 2 से 4 को बढ़ावा देने वाले मामले की जांच कर रहा हूं और दिनांक 16 मई, 2012 के आदेश (अनुबंध) (अनु (ख) माननीय समिति द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2011 के आवेदन (संलग्नक) द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के माननीय समिति के निर्णय का अनुमोदन करते हुए। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को एक अभ्यावेदन (अनुबंध) में संशोधन किया है। पी -24) न्याय के लिए अपना दावा करते हुए। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने से पहले, प्रतिवादी 2 से 4 को एक प्रति प्रदान की गई थी और उनसे आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। याचिकाकर्ता ने अफसोस जताया कि हालांकि आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन 6 अगस्त, 2015 को आयोजित माननीय समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व पर फैसला करने से पहले उसे

सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था (अनुलग्नक। पी - 29)। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अपने मामले की व्याख्या करने के लिए सुनवाई का उचित और उचित अवसर दिया जाना चाहिए। नतीजतन, *ऑडी अल्टरम पार्टेम* के नियम के पर्याप्त अनुपालन की कमी है। बताते हैं कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है। इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि मन में क्या वजन था। इन आदेशों को अन्य बातों के अलावा इस याचिका में चुनौती दी गई है।

18. याचिकाकर्ता का कहना है कि जैसे ही उसके दावे को खारिज करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया, फाइल रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अगली तारीख यानी 7 अगस्त, 2015 को 7 अगस्त, 2015 को अग्रेषित नोट द्वारा रखी गई थी, जिसे उसी दिन उनके लॉर्डशिप द्वारा अनुमोदित किया गया था।

19. प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने मामले को चुनौती देते हुए अपने लिखित बयान में डाल दिया है। जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए दो साल की सेवा की शर्त में छूट की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेशों को चुनौती देने में देरी और कमी के आधार पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई है। यह स्वीकार किया जाता है कि माननीय समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 15 फरवरी, 2011 को सिफारिशें की थीं, जिसमें उनके तीन साथी आशुलिपिकों के बराबर छूट की सिफारिश की गई थी, जिनमें से सभी चार का चयन उसी परीक्षा में हुआ था और मई 2009 (संलग्नक) में विधिवत नियुक्त किया गया था। पी -3)। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-रजिस्ट्रार (सतर्कता), पंजाब और हरियाणा के कार्यालय में कार्यरत कुछ स्टाफ सदस्य और विशेष रूप से निर्णय लेखक वर्ष 2010 (दिनांक 20 जुलाई, 2010 और 29 नवम्बर, 2010 के अभ्यावेदन) में अभ्यावेदन

प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें उक्त अधिनियम को समाप्त करने के कारण उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-रजिस्ट्रार (सतर्कता), चंडीगढ़ के कार्यालय से आमेलन का अनुरोध किया गया था कार्यालयों। स्टाफ सदस्यों के अनुरोध पर माननीय समिति द्वारा 25 मार्च, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था जिसने दिनांक 25 मार्च, 2011 (अनुबंध आर-1) के कार्यवृत्त द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना पर ऐसे स्टाफ सदस्यों के आमेलन की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिशों को 28 मार्च, 2011 को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने 1.4.2011 से 20 अप्रैल, 2011 को इसे मंजूरी दे दी थी और 3 मई, 2011 को कार्यालय आदेश जारी किया गया था (अनुलग्नक। पी -15)। नतीजतन, प्रतिवादी 2 से 4 को 3 मई 2011 के आदेश द्वारा 1 अप्रैल, 2011 से उच्च न्यायालय की स्थापना पर अवशोषित कर लिया गया। आमेलन के आदेश में, 1973 के नियमों के नियम 38 के तहत छूट की शक्ति को समान वेतन, कार्य और स्थिति आदि के संबंधित पदों में जिला और सत्र न्यायाधीश (सतर्कता), पंजाब और हरियाणा के कार्यालय के सहायक कर्मचारियों को अवशोषित करने के लिए लागू किया गया था। याचिकाकर्ता के मामले पर 2 मई, 2011 को निर्णय दिया गया था, लेकिन उस समय तक प्रतिवादी 2 से 4 को दिनांक 3 मई, 2011 के आदेश (अनुबंध) द्वारा 1 अपै्रल, 2011 से भूतलक्षी प्रभाव से अवशोषित कर लिया गया था। पी -15)। 3 मई, 2011 के आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है कि 1 अपै्रल, 2011 की तारीख क्यों चुनी गई, यदि वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में सुविधा के लिए नहीं।

20. यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी 2 से 4 के मामले पर 25 मार्च, 2011 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था, जबकि नियम में छूट के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर

पहले 15 फरवरी, 2011 को एक अन्य माननीय समिति द्वारा विचार किया गया था जिसमें दो साल की सेवा की शर्त में छूट देकर पदोन्नति/नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। जिस गति से प्रतिवादी 2 से 4 के मामले में कागजात संसाधित किए गए थे, वह एक महीने से भी कम समय के भीतर था और उसके मामले में दोषी देरी याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत है कि प्रतिष्ठान के अधिकारियों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है कि उसने आदेशों के लिए उचित समय के भीतर माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला नहीं रखा है। अकेले इस आकस्मिक परिस्थिति के कारण, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं 2 से 4 की तुलना में वरिष्ठता खो दी है।

21. उच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में विलंब की आपत्ति पर आगे दबाव डाला कि जजमेंट राइटर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, याचिकाकर्ता ने चार महीने से अधिक समय के बाद 17 सितंबर, 2011 (संलग्नक) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। (ख) पृष्ठ 16) [दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 के पहले अभ्यावेदन को छोड़कर (अनुबंध)। पी-10)] 29 अक्टूबर, 2010 से पदोन्नति का दावा करते हुए, यानी वह तारीख जब उनके तीन समकालीनों को जजमेंट राइटर्स के रूप में पदोन्नत किया गया था। 11 मई, 2012 को आयोजित बैठक में जसबीर सिंह, जे की अध्यक्षता वाली माननीय समिति द्वारा इस अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता ने किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष अस्वीकृति आदेश को चुनौती नहीं दी और इसलिए, उसका मामला देरी और देरी से रोक दिया गया है। वर्तमान याचिका वर्ष 2014 में एक घटना के संबंध में दायर की गई है जो वर्ष 2011 में हुई थी और इसके परिणामस्वरूप, 2011 में किए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए एक सिविल सूट को सीमा द्वारा रोक दिया जाएगा, और इसलिए, याचिकाकर्ता के

पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है और इसे देरी और कमी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

22. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के जवाब की प्रतिकृति दाखिल की है। देरी और कमी की आपत्ति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने 17 दिसंबर, 2010 (अनुलग्नक -10) को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें समानता के आधार पर दो साल की सेवा की शर्त में ढील देकर जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति की मांग की गई थी, जैसा कि उसके तीन अन्य बैच-साथियों को दिया गया था जो एक साथ स्टेनोग्राफर के पद पर शामिल हुए थे। देरी पर तर्क का मुकाबला करने के लिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि वह खुद देरी का शिकार है और प्रतिवादी नंबर 1 और उसके डीलिंग अधिकारियों के हाथों फाइल को रोक कर रहा है और माननीय समिति की सिफारिशों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए मामले को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बहुत देर से रख रहा है। वह आगे दलील देता है कि अन्यथा भी उसने 2 मई, 2011 तक 1973 के नियमों के नियम (11) (1) (बी) के तहत जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नति के लिए आवश्यक स्टेनोग्राफर के रूप में दो साल की सेवा पूरी कर ली थी , जिस तारीख को 1973 के नियमों के नियम 38 के तहत छूट द्वारा दो साल की सेवा की शर्त को मंजूरी दी गई थी। नतीजतन, स्टेनोग्राफर के रूप में दो साल की सेवा पूरी होने के कगार पर दो साल की सेवा के बारे में उक्त अनुमोदन एक रिक्त अभ्यास बन जाता है और उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के साथ उसके तीन भाग्यशाली बैच-मेटों के साथ भेदभाव किया गया है, जिन्हें 29 अक्टूबर, 2010 को उनकी पदोन्नति के लिए दो साल की सेवा में छूट का लाभ दिया गया था, जब उनके मामले को सुविधाजनक रूप से अनदेखा किया गया था, जबकि प्रासंगिक समय पर पदोन्नति कोटा से 22 रिक्तियां खाली पड़ी थीं। तर्क है कि यह कार्यालय की ओर से

एक आपराधिक गलती और चूक थी कि माननीय समिति के ध्यान में नहीं लाया गया, जिसने तीन बैच-मेट्स के प्रतिनिधित्व पर विचार किया कि नियम में छूट के मामले पर विचार करने के लिए एक अन्य व्यक्ति समान रूप से योग्यता के आधार पर योग्य था क्योंकि उनके मामलों में जरा भी अंतर नहीं था। 2 मई, 2011 को जब माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था तब तक उसमें 2 1/2 महीने का विलंब हुआ था और उस अनुमोदन का तथ्यात्मक रूप से उनके लिए कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं बचा था, क्योंकि तब तक वह पहले ही आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष की सेवा प्राप्त कर चुके थे। जबकि निजी उत्तरदाताओं के मामले को तेजी से ट्रैक किया गया था, फाइल को दफनाकर उत्सुकता से पिघलाया गया था। और इस पास आने के लिए, उन अधिकारियों द्वारा जवाब दिए जाने की आवश्यकता है जिन्होंने एक मामले में अंतिम रूप देने में देरी की और दूसरे में तुरंत कार्रवाई की। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता के 17 सितंबर, 2011 के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले दिनांक 16 मई, 2012 के आदेश को लगभग 8 महीने बाद पारित किया गया था, उसे कभी नहीं बताया गया था और इसलिए किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष इसे चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता। याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन के माध्यम से निर्णय की एक प्रति प्राप्त की, जिसके बाद वह अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा था और उसने दिनांक 24 दिसंबर, 2014 (संलग्नक) को भी प्रस्तुत किया था। पी -24)।

23. उच्च न्यायालय का एक कर्मचारी जो पीड़ित है, उससे न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने की उम्मीद नहीं की जाती है, जहां वह हर समय अधिकारियों से न्याय की उम्मीद करता है। मैं नहीं समझाता कि उच्च न्यायालय के लिए यह उचित और उचित है कि वह विलंब पर आपत्ति करे और जब

उसके कार्यालय विलंब के दोषी हों तो उसमें कमी करे। एक बार जब मनमानी निष्क्रियता और अनुचित भेदभाव का मामला सामने आया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के स्वीप द्वारा अधिकार प्रकृति में मौलिक बन गया है, तो देरी और मामले की आपत्तियों को महत्वहीन और गुण-दोष में बदल दिया जाना चाहिए। राज्य या उच्च न्यायालय को उचित कारण में देरी, कमी और सीमा की दलीलों को लेने से बचना चाहिए। यह विशेष रूप से सच है जब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि तीन बैच-मेट्स ने याचिकाकर्ता को संबद्ध किए बिना एक प्रतिनिधित्व किया था। उस समय उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। सहकर्मियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन को उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए था, फिर याचिकाकर्ता को अपनी कार्रवाई का खाका तैयार करना था। उन्हें इसमें शामिल होने या संयुक्त निर्णय के लिए अलग से अभ्यावेदन देने के लिए कहा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता ने खुद अपने तीन बैच-साथियों द्वारा बताए गए कारण से खुद को अलग कर लिया। यदि उस प्रतिनिधित्व का निर्णय लेते समय कार्यालय द्वारा इस त्रुटि को ठीक किया जा सकता था, तो याचिकाकर्ता का मामला निश्चित रूप से अदालत में कभी नहीं आया होता। यह मूलभूत त्रुटि अब न्यायालय की चिंता है कि वह न्याय करे, समान रूप से और कानून के अनुसार। तदनुसार, विलंब और कमी और सीमा पर आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है। फिर भी, याचिकाकर्ता शुद्ध नागरिक अधिकारों का आह्वान नहीं कर रहा था कि उसे जिला अदालतों में दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए था। उनका दावा समान अवसर और निष्पक्षता-कार्रवाई के सिद्धांतों पर आधारित है और न्यायसंगत है। यहां तक कि अगर किसी की गलती नहीं है, तब भी कानून के समक्ष समानता का मूल्य प्रबल होना चाहिए और न्याय की तलाश में अन्य सभी विचारों को ओवरराइड करना चाहिए। याचिकाकर्ता को उसके पहले से मौजूद

अधिकारों को वापस कर दिया जाना चाहिए और उसमें निहित किया जाना चाहिए जब उसके तीन साथी स्टेनोग्राफरों को छूट दी गई थी, जिन्होंने एक साथ एक सजातीय वर्ग का गठन किया था और यथोचित रूप से वर्गीकृत हैं। याचिकाकर्ता के मामले को बाकी यानी शाम सुंदर, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा के मामलों से अलग करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इसके अलावा, यह एक निरंतर गलत है जिसे अगर ठीक नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता को हर दिन वित्तीय नुकसान और स्थिति का नुकसान होता है जो उसके पूरे करियर में चलेगा, अगर अदालत हस्तक्षेप करने में विफल रहती है। यदि याचिकाकर्ता तत्कालीन रजिस्ट्रार (प्रशासन) को मकसद का श्रेय देता है, तो वह वास्तव में उन अधिकारियों से मतलब है जो माननीय समिति और मुख्य न्यायाधीश के बीच की कड़ी थे और उनमें जानबूझकर माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए मामले को रखने में देरी कर रहे थे। फिर उसके पास अपने मामले में फाइल की लगातार चुप्पी और उत्तरदाताओं 2 से 4 के मामलों में व्यवसाय के त्वरित निपटान पर सवाल उठाने का हर कारण है। न्यायालय माननीय समिति और मुख्य न्यायाधीश के बीच सेतु के रूप में मंत्रालयिक कर्मचारियों की इस दोषी शिथिलता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। न केवल वे अपने कर्तव्य में विफल रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि डीलिंग अधिकारियों ने भौतिक तथ्यों को सक्रिय रूप से दबा दिया और माननीय समिति को निष्पक्ष रूप से मूल्यवान इनपुट प्रदान करने में विफल रहे, जिसने तीन व्यक्तियों के लिए नियम में ढील दी और याचिकाकर्ता को आसानी से भूल गए जब उसे सभी चौकों पर समान रूप से रखा गया था। मंत्रालयिक कर्मचारियों में निहित स्वार्थों और बाहरी कारणों से काम करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने दोनों महत्वपूर्ण चरणों में अपनी शातिर भूमिका निभाई है। कार्यालय में किसी के पास फ़ाइल पर बैठकर पीसने के लिए कुछ

कुल्हाड़ी होनी चाहिए और इसे केवल एक नियति बनाने के लिए बहुत देर से धक्का देना चाहिए। इस उदासीनता के कारण यह मुकदमेबाजी हुई है।

24. याचिकाकर्ता प्रतिवादी 2 से 4 के खिलाफ उनके अवशोषण पर हथियार नहीं उठा रहा है, लेकिन वह समय से व्यथित है। जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत होने से पहले पूर्वव्यापी अवशोषण। निहित स्वार्थों ने एक मार्च जीतने के लिए 2 से 4 उत्तरदाताओं को चुपके से लाने के लिए अपनी फाइल में देरी की हो सकती है। कार्यालय को सलाह देनी चाहिए थी कि याचिकाकर्ता के पक्ष में 15 फरवरी, 2011 को सिफारिशें की गई थीं और प्रतिवादी 2 से 4 के विलय और अवशोषण के मामले पर विचार करने से पहले इसे संबोधित करने की आवश्यकता थी क्योंकि उनके मामले की बाद में सिफारिश की गई थी। वर्तमान में, प्रतिवादी 2 से 4 को 16 मई, 2016 के आदेश के माध्यम से सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है और यह नाराज़गी का एक और कारण है। माननीय समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन पर अनुकूल रूप से सिफारिशें करने के मामले पर विचार करने के लिए केवल तीन सप्ताह का समय लिया। माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें 15 फरवरी, 2011 को की गई थीं और उन्हें माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 मई, 2011 को अनुमोदित किया गया था जब आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष की सेवा प्राप्त करने के याचिकाकर्ता के अधिकार निकट थे। याचिकाकर्ता को कार्यालय की इस चूक के लिए भारी भुगतान करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, माननीय समिति की सिफारिश को अनुमोदन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने में ढाई महीने का समय लगता है।

25. प्रतिवादी 2 से 4 ने एक संक्षिप्त लिखित बयान दायर किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि याचिका अत्यधिक देरी से खारिज होने के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ता को पता था कि

जवाब देने वाले उत्तरदाताओं को 1 अप्रैल, 2011 से जजमेंट राइटर्स के रूप में 3 मई, 2011 के आदेश (अनुलग्नक। पी-15), लेकिन उन्होंने अवशोषण के आदेश को चुनौती देने का कभी विकल्प नहीं चुना और वर्तमान याचिका साढ़े चार साल बाद दायर की गई है। श्री मलिक, विद्वान वरिष्ठ वकील ने ***पीएस सदाशिवस्वामी*** *बनाम* ***तमिलनाडु राज्य में फैसले का***[1] हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका छह महीने के भीतर या अधिकतम एक वर्ष के भीतर दायर की जा सकती है। श्री मलिक का दावा है कि अन्यथा भी जवाब देने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ योग्यता के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के अधिकार उसके लिए उस तारीख से वापस जाने के लिए अनन्य हैं जब तीन बैच के साथियों को प्रमोट किया गया। इसलिए, पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता का दावा करने के संबंध में देरी पर आपत्ति महत्वहीन हो जाती है। वरिष्ठता का निर्णय प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की आपत्तियों के आधार पर किया जाना है। श्री मलिक का तर्क है कि तीन अधिकारी बैच-मेट याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे और जब वरिष्ठों को छूट देकर पदोन्नत किया गया है, तो एक जूनियर अधिकार के रूप में छूट और पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता के पास 29 अक्टूबर, 2010 को जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति की मांग करने का कोई कारण नहीं है, जब उसके वरिष्ठों को छूट देकर जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया था, यहां तक कि वरिष्ठ भी वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उन उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता के पास 29 तारीख से जजमेंट राइटर के रूप में पदोन्नति का दावा करने का कोई मामला नहीं है अक्टूबर, 2010। श्री मलिक पूछते हैं कि

[1] एआईआर 1974 एससी 2271

याचिकाकर्ता अपने वरिष्ठों पर अपने अधिकारों का दावा कैसे कर रहा है। वरिष्ठों और याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए रखा गया था, जहां 14 में से केवल 4 उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर चुना गया था। याचिकाकर्ता को जजमेंट राइटर के उपलब्ध पद के खिलाफ 29 अक्टूबर, 2010 को मौजूद वरिष्ठता के अनुसार अगली उपलब्ध रिक्तियों से पदोन्नति का अधिकार होगा, जिसमें पर्याप्त संख्या में पद यानी 22 पद उपलब्ध थे।

26. प्रतिवादी 2 से 4 के लिखित बयान की प्रतिकृति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवल पुनरावृत्ति है और याचिकाकर्ता द्वारा निजी उत्तरदाताओं की दलील का जवाब देने के अलावा कुछ भी नया नहीं कहा गया है कि इस मामले में शामिल मुद्दे के निर्धारण के उद्देश्य से वरिष्ठता पूरी तरह से सारहीन है, खासकर जब याचिकाकर्ता को माननीय समिति द्वारा अनुभव में छूट दी गई थी और माननीय द्वारा अनुमोदित किया गया था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। याचिकाकर्ता का अपने तीन बैच के साथियों के साथ कोई विवाद नहीं है और वे आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। इस याचिका के परिणाम से वे किसी भी तरह से परेशान नहीं होंगे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता और उसके तीन बैच-साथियों के बीच वरिष्ठता का सिद्धांत तब टूट जाता है जब 14 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उनमें से केवल चार को योग्यता के आधार पर चुना गया।

27. राहत के सवाल पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। चूंकि माननीय समिति की दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सिफारिश में यह नहीं बताया गया है कि नियम में छूट देकर पदोन्नति किस तारीख से दी जानी है और न ही माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 मई, 2011 के अनुमोदन के आदेश में इस संबंध में कुछ कहा गया है, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि राहत सर्व-श्री शाम सुंदर

के मामलों की पिछली घटनाओं के संबंध में होगी, शमशेर सिंह और राज कुमार अरोड़ा को जब छूट दी गई तो याचिकाकर्ता ने नजरअंदाज कर दिया। दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 (पी-10) के अभ्यावेदनों में यही प्रार्थना की गई थी जिसकी अनुमति दी गई थी और 17 सितम्बर, 2011 (पी-16) जिसे 11 मई, 2012 को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता मई, 2011 में दो साल की सेवा पूरी करने के करीब था, जो सिफारिश की तारीख से तीन महीने से भी कम समय था और याचिकाकर्ता की पदोन्नति निरर्थक हो जाएगी यदि याचिकाकर्ता को उसके बैच-साथियों के बीच उसकी सीट पर वापस नहीं किया जाता है। अन्यथा, यह न्याय का उपहास होगा यदि याचिकाकर्ता को बिना किसी वास्तविक राहत के रास्ते में छोड़ दिया जाता है। 2 मई, 2011 को एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी जब याचिकाकर्ता को छूट दी गई थी और उस समय तक वह पहले ही दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है या अवधि परिपक्व होने वाली थी। ऐसी परिस्थितियों में छूट एक मृगतृष्णा होगी, यदि याचिकाकर्ता को पूर्व-दिनांकित पदोन्नति नहीं दी जाती है और यदि उसकी वरिष्ठता को प्रतिवादी 2 से 4 और उसके बैच-साथियों के बीच से अधिक बहाल नहीं किया जाता है, तो वह सेवानिवृत्त होने तक अंतहीन रूप से पीड़ित होगा। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि यह प्रासंगिक प्रतिक्रिया अनुमोदन के समय कार्यालय द्वारा माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता को दी गई छूट इस प्रकार पिरामिड प्रदान की जाती है। जीत में हार होगी। इसलिए, 29 अक्तूबर, 2010 तक की छूट को वापस लेने से संबंधित कानून की कल्पना द्वारा अधिकारों की बहाली द्वारा संशोधन किया जाना है ताकि उसी प्रक्रिया में चयनित चार कर्मचारियों के समरूप वर्ग के भीतर अनुचित भेदभाव को सफलतापूर्वक समाप्त किया जा सके और जिसने एक सामान्य परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की जिसके लिए 14 उम्मीदवारों ने

जजमेंट राइटर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की और 10 उम्मीदवार हार गए।

28. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले 11 मई, 2012 (पी-18), 16 मई, 2012 (पी-19), 6 अगस्त 2015 (पी-29) और 7 अगस्त 2015 (पी-30) के आक्षेपित आदेश अमान्य हैं। याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर के रूप में योग्यता और पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार निर्णय लेखक (पदोन्नति कोटा में 22 में से से) के रूप में रिक्ति की उपलब्धता की तारीख से सैद्धांतिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा। तदनुसार, दिनांक 3 मई, 2011 के आदेश में संशोधन किया जाता है। दिनांक 2 मई, 2011 के आदेश को 15 फरवरी, 2011 से संबंधित करने का निर्देश दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सिफारिश 29 अक्टूबर, 2010 से इस घोषणा के साथ संबंधित होगी कि याचिकाकर्ता जजमेंट राइटर्स के संवर्ग में प्रतिवादी 2 से 4 तक वरिष्ठ हो जाएगा और उच्च पदोन्नति वाले पदों पर ऐसा ही रहेगा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 से 4 के बीच वरिष्ठता को तदनुसार फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्णय और पारित नए आदेशों के आलोक में जजमेंट राइटर से आगे की पदोन्नति की समीक्षा की जाए। सुनवाई, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी 2 से 4 के अलावा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों को दी जाए क्योंकि उनकी सुनवाई उनके लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके मलिक के माध्यम से हुई है।

29.फैसला 25 सितंबर, 2018 को सुरक्षित रखा गया था और आज 26 अक्टूबर, 2018 को सुनाया गया है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी